## Speed post /तीव्र डाक

भारतसरकार खानमंत्रालय भारतीय खानब्यूरो क्षेत्रीय खाननियंत्रक काकार्यालय माखुपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002 ई-मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in



## Violation letter/उल्लंघन पत्र

Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines Office of the Regional Controller of Mines. Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002 Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

दिनांकः 21/10/2022

संख्याः RAJ/NGR-112/L.ST-13

प्रेषित: खान एजेंट,

नागौर चुनापत्थर खान,

ब्लॉक 3ब (1)(अ) मेसर्स एमामी सिमेन्ट लिमिटेड,

पोस्टः देह, तहसीलः जायल

जिला: नागौर, राजस्थान: 341022

इंमेल: kanak.chhangani@nuvoco.com, Jayakumar.krishnaswamy@nuvoco.com

विषयः राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी नागौर चुनापत्थर खान, ब्लॉक 3ब (1)(अ), क्षेत्रफल 267.6288 हेक्टेर में खिनज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में। महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 19/09/2022 by undersign in presence of Sri Ganpat Ram, Mine Manager, Sri Chetan Agarwal, Mining Engineer and Sri Deependra Singh, Geologist of your company:

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Modified Mining Plan
(-)	approved on 24/07/2019 to the extent given below for the year 2021-22:
-	(1) A total of 56 exploratory Bhs have been proposed to drill in the year 2019-20,
	however, same has not carried out as per proposal.
	A total of 20.695 tons of ROM has been produced against the target of 1372700 tons of
	ROM production, which is very low compare to targeted production
	(2) An area of 1.2 hectare with 1800 numbers of plants was proposed to plant within
	lease area during the year 2021-22. However, plantation as proposed has not been
	carried out in the lease area.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं 02. विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अन्पालन नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गतः
  - (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
  - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
  - (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक

भारतीय खान ब्युरो, अजमेर